

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक- प.6 (स्टोर/आईसीडीएस/विविध/2008-09/55485-456) जयपुर, दिनांक 17.8.09

उप निदेशक (बाल विकास)
समेकित बाल विकास सेवाएं
समस्त।


विषय- इनफैन्ट एवं एडल्ट वैईग स्केल की मांग बाबत।

संदर्भ- विभागीय पत्र क्रमांक 26411-442 दिनांक 22.04.09 एवं स्मरण पत्र 46217-249 दिनांक 07.07.09

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र/स्मरण द्वारा इनफैन्ट एवं एडल्ट वैईग स्केल की उपलब्धता एवं मांग की निम्न प्रपत्र में सूचना चाही गई थी जो अब तक अप्राप्त है।

क्र.स.	स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्र	उपलब्ध वैईग स्केल		अतिरिक्त मांग यदि कोई हो	
		इनफैन्ट	एडल्ट	इनफैन्ट	एडल्ट

निरन्तर एवं नियमित रूप से स्मरण करवाने के उपरान्त भी आप द्वारा सूचना नहीं भिजवाया जाना अत्यन्त खेदजनक है। पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि पत्र जारी होने की तिथि से 7 दिवस के भीतर आपके जिले की सूचना भिजवाना सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी वजन तौलने की मशीन उपलब्ध करायी जा रही है। अतः उपरोक्त सूचना में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त मशीनों की संख्या को सम्मिलित करते हुए सूचना उपलब्ध कराये।


निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर